



गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(ISO 9001 : 2015 एवं ISO 14001 : 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ गाजियाबाद

पत्रांक: 4340/मास्टर प्लान अनुभाग/2022

दिनांक 05/04/2022

“सार्वजनिक सूचना”

“एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स ए.एस.पी.जी. इन्फ्रा ग्लोबल प्रा०लि० द्वारा खसरा सं० 1266, 1267, 1270, 1271 व 1272 क्षेत्रफल 10079.00 वर्ग मी० ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की भूमि पर होटल हेतु ऑन लाईन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान-2021 जोन-1 के अनुसार उपरोक्त खसरा नम्बरानो का भू-उपयोग 45 मी० व 18 मी० चौड़े जोनल मार्ग का मार्गधिकार छोड़ने के उपरान्त शेष भाग आवासीय के अन्तर्गत प्रदर्शित है। उ०प्र० शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-1120 / 8-23-16-28 विविध/16 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 29.12.2016 के अनुसार आवासीय भू-उपयोग के अन्तर्गत होटल क्रिया अनुमन्य है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन-सामान्य से 01 माह की अवधि हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन-सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 01 माह के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेंगा।

उपाध्यक्ष

ई-मेल : helplinegda@gmail.com, [@gdagzb](https://www.facebook.com/gdagzb) [gdagzb](https://twitter.com/gdagzb)

हेल्पलाइन नं: 0120-6110433, व्हाट्सएप : 9990988004, वेबसाईट : www.gdaghaziabad.in

एक सुन्दर शहर हमारा संकल्प